

फ. स. - 2-2/2012-आर.टी.आइ.वित्त
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(एकीकृत वित्त खंड)

दिनांक: 18.10.2021


विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्रीमती सुपर्णा दुबे, निवासी एफ-1282, राजाजीपुरम, लखनऊ -226017 से प्राप्त आवेदन दिनांक 26.08.2021 (इस कार्यालय को दिनांक 30.09.2021 को प्राप्त) को अंतरित करने के संदर्भ में।

2. आपके द्वारा मांगी गई सूचना निम्नलिखित बिंदुवार क्रम से प्रदान की जा सकती है:-

- (i) बिंदु संख्या-1 के संदर्भ में:- दूरसंचार विभाग द्वारा जारी O.M./Order के निर्देशों का (जो की CGCA/Pr.CCA/CCA कार्यालयों के लिए जारी किए गए हैं) अनुपालन CGCA/Pr.CCA/CCA कार्यालयों के द्वारा किया जाना चाहिए।
- (ii) बिंदु संख्या-2 के संदर्भ में:- 09.12.2020 से पूर्व, सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों को विभाग में अनुबंध पर लेने के लिए 03-10/2014/SEA-I/Fin दिनांक 28.10.2015, 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 28.12.2017 तथा 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 15.02.2018 परिपत्रों में निहित निर्देशों का पालन किये जाने चाहिए।
- (iii) बिंदु संख्या 3 के संदर्भ में:- दूरसंचार विभाग के परिपत्र संख्या 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 15.02.2018, की छायाप्रति प्रदान की जाती है, तथा दूरसंचार विभाग के परिपत्र 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 28.12.2017 के परिप्रेक्ष्य में किमी प्रकार की लिखित सलाह व संशोधन के संबंध में पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
- (iv) बिंदु संख्या -4 के संदर्भ में:- 09.12.2020 से पूर्व, राजकीय कर्मचारी का पारिश्रमिक, परिपत्र संख्या 03-10/2014/SEA-I/Fin दिनांक 28.10.2015, 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 28.12.2017 तथा 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 15.02.2018, के अनुसार तय किया जाना चाहिए।
- (v) बिंदु संख्या 5 -7 के संदर्भ में:- वेतन का निर्धारण के लिए व अन्य निर्देशों के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा 09.12.2020 से पूर्व, जारी किए गए परिपत्र संख्या 03-10/2014/SEA-I/Fin दिनांक 28.10.2015, 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 28.12.2017 तथा 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 15.02.2018 में उल्लेखनीय दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- (vi) बिंदु संख्या 8 के संदर्भ में:- परिपत्र संख्या 03-10/2014/SEA-I/Fin दिनांक 28.10.2015, 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 28.12.2017 तथा 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 15.02.2018 में उल्लेखित दिशानिर्देशों के अनुसार ही अनुबंध(contract) पर सेवाएं ली जा सकती हैं/ समाप्त की जा सकती है।

- (vii) बिंदु संख्या- 9 के संदर्भ में:- पेंशन भुगतान CCS (Pension Rule) के अधीन ही निर्धारित की जानी चाहिए।
- (viii) बिंदु संख्या-10 के संदर्भ में:- 09.12.2020 से पूर्व, राजकीय कर्मचारी का पारिश्रमिक परिपत्र संख्या 03-10/2014/SEA-I/Fin दिनांक 28.10.2015, 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 28.12.2017. तथा 03-11/2016/SEA-I (Pt.-I)/Fin दिनांक 15.02.2018, के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

3. यदि आप दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपीलारी श्रीमती कविता सिंह, उप महानिदेशक (वित्त) एवं अपीलारी, दूरसंचार विभाग, कमरा नंबर -701 संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के समक्ष अपील कर सकते हैं।


(शंकरा नन्द मिश्रा)
निदेशक (वित्त)/सीपीआईओ
दूरभाष-011-23036231

सेवा मे,

श्रीमती सुपर्णा दुबे, निवासी एफ-1282, राजाजीपुरम, लखनऊ -226017.

प्रति:

सहायक महानिदेशक (एसईए) एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी.